

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल

क्रमांक स्था./राजभाषा/2024/152

दिनांक : 26/04/2024

// कार्यवृत्त //

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थान राजभाषा समिति की तिमाही (01.01.2024 से 31.03.2024 तक) बैठक दिनांक 26.03.2024 को हुई। संस्थान द्वारा प्रकाशित करवाये जाने वाले निविदा (टेंडर) के मुख्य पृष्ठों के हिन्दी भाषी होने पर अध्यक्ष (निदेशक) महोदय ने प्रशंसा व्यक्त की एवं संस्थान राजभाषा समिति की परामर्शदात्री डॉ. सविता दीक्षित को राजभाषा में प्रयासों के लिए एवं हिन्दी कार्य में 80% तक पहुंचने के लिए धन्यवाद दिया।

समिति द्वारा की गई चर्चा में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकाला है जिन पर राजभाषा नीति के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है : -

1. निदेशक महोदय द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/अनुभाग अध्यक्षों से हिन्दी प्रपत्रों के बारे में पूछा गया और कहा गया कि पत्र शीर्ष (लेटर हेड), नोटिस हिन्दी या द्विभाषी कर 15 कार्य दिवस में सूचित करें।
2. यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी., प्रोजेक्ट में थिसिस में एक पेज का सार हिन्दी में लिखने का प्रयास किया जाना है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
3. सभी प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला नियमावली (Laboratory Manuals) और प्रयोगों की सूची (List of Experiments) द्विभाषी होना चाहिए, 15 कार्यदिवस के बाद निरीक्षण किया जाएगा।
4. प्राध्यापक प्रभारी वेबसाइट इस विषय पर प्रयास करें कि सभी विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों का बायोडाटा हिन्दी में अपलोड किया जाए।
5. संस्थान द्वारा छपवाई जाने वाली पत्रिका हिन्दी में या द्विभाषी में होनी चाहिए।
6. संस्थान राजभाषा समिति के पुनर्गठन पर चर्चा हुई एवं यह भी बताया गया समस्त विभाग/अनुभाग 2-2 नाम समिति के लिए भेजें।

गोरेव द्विदी


बिनीत जी


(11/4/24)


कल्याण


7. संकाय एवं गैर संकाय सभी के लिए हिन्दी लेखन एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होना चाहिए तथा समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।

संस्थान के समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभाग/शाखा प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित हिन्दी के कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन किया जा सके एवं की गई कार्य की जानकारी से संस्थान राजभाषा प्रकोष्ठ को भी प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे समय समय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जानकारी चाहे जाने पर उन्हें भी सूचित किया जा सके।


उप-कुलसचिव (स्था.)
संयोजक, राजभाषा


कुलसचिव
उपाध्यक्ष, राजभाषा


परामर्शदात्री, राजभाषा


निदेशक
अध्यक्ष, राजभाषा

समाप्त